अस्वीकरण

1. इस रिपोर्ट में प्रकाशित सूचना को सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों की पुलिस, सीएपीएफ/सीपीओ से प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने डाटा का केवल संकलन और मिलान तथा इसे रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। चूँकि डाटा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/ सीएपीएफ/सीपीओ से प्राप्त किया गया है, अतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इस सूचना की प्रामाणिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तथापि, इस रिपोर्ट में पाई गई किसी भी असंगति को ब्यूरो के संज्ञान में लाया जा सकता है।

सीमिततायें

1. चूँकि अपराध के वर्गीकरण के लिए यह प्रकाशन 'मुख्य अपराध नियम' का अनुपालन करता है, इसलिए प्रत्येक अपराध शीर्ष के अंतर्गत की गई वास्तविक गणना, रिपोर्ट की गई संख्या से भिन्न हो सकती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक ही प्राथमिकी में दर्ज कई अपराधों में से केवल सबसे जघन्य अपराध (जिनमें अधिकतम सजा का प्रावधान हो) को ही गिनती में लिया जाता है।

2. अपराधों के लिए उत्तरदायी सामाजिक-आर्थिक कारक अथवा कारणों को ब्यूरो द्वारा दर्शाया नहीं जा रहा है। इस प्रकाशन हेतु अपराध के केवल पुलिस द्वारा दर्ज मामलों को ही रिकॉर्ड किया जा रहा है।

3. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अपराध दरों (प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध) को निकालने के लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 2011 की जनगणना पर आधारित 2023 की मध्य-वर्ष की अनुमानित जनसंख्या का उपयोग किया गया है। (जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, जुलाई, 2020, जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। हालाँकि, महानगरों के संबंध में ये आँकड़े उपलब्ध नहीं है। महानगरों के लिए अपराध दर की गणना 2011 की जनगणना के वास्तविक आँकड़ों का उपयोग करके की गई है। इसलिए, राज्यों और महानगरों की अपराध दरें तुलनीय नहीं हैं।
4. शहरों के इन समूहों की जनसंख्या के आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण 'बच्चों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और वरिष्ठ नागरिकों' के प्रति नगरवार अपराधों की दर की गणना नहीं की जाती है।
5. नागालैंड से जो स्पष्टीकरण वर्ष 2022 से लंबित थे, वह मामला सुलझा लिया गया है। इस प्रकार 2022 मे जो आँकड़े अनंतिम थे, वे इस प्रकाशन में मान्य आँकड़ों के रूप से दिये गए हैं।